



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL



Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL – 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीआर 027/2023-बीएचओ/

दिनांक :

/07/2025.

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

वल्लभ भवन, भोपाल

(मध्यप्रदेश) ।

विषय: बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु 8.0357 हेक्टेयर आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि (1.2496 हे. उत्तर बैतूल एवं 6.7861 हे. होशंगाबाद वनमण्डल) उप मुख्य अभियंता (निर्माण), मध्य रेल्वे नागपुर को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/RAIL/150074/2021).

संदर्भ: 1) कार्यालय का पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 027/2023-बीएचओ दिनांक 19/02/2025.

2) नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक एफ-5/1211/E file-0107/2025 दिनांक 01/06/2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के प्रतिउत्तर दिनांक 01/06/2025 के अतिरिक्त, प्रस्ताव अन्तर्गत जानकारी अस्पष्ट है जो कि निम्नलिखित है -

1. This is not clear that how much area is a part of the area proposed for recommendation of NBWL from the area proposed for diversion under the provision of FCA, 1980, because in the forest area which is submitted for the recommendation of NBWL, can only be considered for necessary approval under the provision of FCA, 1980 only after getting wildlife clearance.
2. Even now, on the basis of available information, it is difficult to ascertain whether the forest area which has not been included in the diversion was under the ownership of Railways before enactment of railway act in 1989.
3. This is not ascertained from the information provided by the State Govt that construction of subway is a violation of FCA, 1980 or not.

उपरोक्त संदर्भ में क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से सहा. वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) एवं तकनीकी अधिकारी (वानिकी) द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी तिथि एवं समय की सूचना पृथक रूप से दी जाएगी। राज्य सरकार से अनुरोध है की तदनुसार समन्वित DFO एवं प्रयोक्ता अभिकरण को जानकारी के साथ तैयार रहने के बाबत निर्देशित करें।

(राजेश दराडे)

सहा. वनमहानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।